पत्रांक–02 / स्था॰(स्था॰अनुपालन)–03–05 / 2012–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई॰ सीता कान्त झा,
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

सेवा में,

श्री कुमार अरविन्द,
प्राक्कलन पदाधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय,
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना,
ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर।

राँची, दिनांक :–

विषयः–विभागीय अधिसूचना सं॰–3019 दिनांक 30.06.2012 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–473 दिनांक 17.07.2012 एवं 4549 दिनांक 01.09.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा विषयगत अधिसूचना के अनुपालन में अबतक नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण नहीं किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 07(सात) दिनों के अन्दर अपने वर्तमान पद का प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर दोनों प्रभार प्रतिवेदनों के साथ विभाग को सूचित करें अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना/अनुशासनहीनता के लिए आपके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह॰/–

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः— राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)/ सरायकेला—खरसावॉ/ पश्चिमी सिंहभूम(चाईबासा)/ सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, रॉची/ जिला कोषागार, रॉची/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि संबंधित सहायक अभियंताओं का माह जनवरी 2013 का वेतन भुगतान उनके नव पदस्थापित स्थान से हीं करेंगे।

ह०/—

(**सीता कान्त झा**)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांकः— 174 राँची, दिनांक :— 11-1-13

प्रतिलिपिः— वेब इन्फोरमेशन मैंनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/13

(**सीता कान्त झा**)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

11/1/13

पत्रांक–02 / स्था॰(स्था॰अनुपालन)–03–05 / 2012–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई॰ सीता कान्त झा,
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

सेवा में,

श्री ललन कुमार,
सहायक अभियंता,
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांकः–

विषयः–विभागीय अधिसूचना सं॰–3019 दिनांक 30.06.2012 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–473 दिनांक 17.07.2012 एवं 4549 दिनांक 01.09.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा विषयगत अधिसूचना के अनुपालन में अबतक नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण नहीं किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 07(सात) दिनों के अन्दर अपने वर्तमान पद का प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर दोनों प्रभार प्रतिवेदनों के साथ विभाग को सूचित करें अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना / अनुशासनहीनता के लिए आपके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह॰/–

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः— राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)/ सरायकेला—खरसावॉ/ पश्चिमी सिंहभूम(चाईबासा)/ सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, राँची/ जिला कोषागार, राँची/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि संबंधित सहायक अभियंताओं का माह जनवरी 2013 का वेतन भुगतान उनके नव पदस्थापित स्थान से हीं करेंगे।

ह०/—

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांकः— 175 राँची, दिनांक :— 11-1-13

प्रतिलिपिः— वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

11/1/13

पत्रांक–02 / स्था॰(स्था॰अनुपालन)–03–05 / 2012–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई॰ सीता कान्त झा,
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

सेवा में,

श्री संजय कुमार,
सहायक अभियंता,
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः–

विषयः–विभागीय अधिसूचना सं॰–3019 दिनांक 30.06.2012 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–473 दिनांक 17.07.2012 एवं 4549 दिनांक 01.09.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा विषयगत अधिसूचना के अनुपालन में अबतक नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण नहीं किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 07(सात) दिनों के अन्दर अपने वर्तमान पद का प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर दोनों प्रभार प्रतिवेदनों के साथ विभाग को सूचित करें अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना / अनुशासनहीनता के लिए आपके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह॰ / –

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः— राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)/ सरायकेला—खरसावॉ/ पश्चिमी सिंहभूम(चाईबासा)/ सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, राँची/ जिला कोषागार, राँची/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि संबंधित सहायक अभियंताओं का माह जनवरी 2013 का वेतन भुगतान उनके नव पदस्थापित स्थान से हीं करेंगे।

ह०/—

(**सीता कान्त झा**)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांकः— 176 राँची, दिनांक :— 11-1-13

प्रतिलिपिः— वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/13

(**सीता कान्त झा**)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

11/1/13

पत्रांक–02 / स्था॰(स्था॰अनुपालन)–03–05 / 2012–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई॰ सीता कान्त झा,
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

सेवा में,

श्री दिलीप कुमार सिंह,
सहायक अभियंता,
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांकः–

विषयः–विभागीय अधिसूचना सं॰–3019 दिनांक 30.06.2012 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–473 दिनांक 17.07.2012 एवं 4549 दिनांक 01.09.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा विषयगत अधिसूचना के अनुपालन में अबतक नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण नहीं किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 07(सात) दिनों के अन्दर अपने वर्तमान पद का प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर दोनों प्रभार प्रतिवेदनों के साथ विभाग को सूचित करें अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना / अनुशासनहीनता के लिए आपके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह॰ / –

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

ज्ञापांकः— राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)/ सरायकेला—खरसावॉ/ पश्चिमी सिंहभूम(चाईबासा)/ सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, राँची/ जिला कोषागार, राँची/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि संबंधित सहायक अभियंताओं का माह जनवरी 2013 का वेतन भुगतान उनके नव पदस्थापित स्थान से हीं करेंगे।

ह०/—

(**सीता कान्त झा**)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांकः— 177 राँची, दिनांक :— 11-1-13

प्रतिलिपिः— वेब इन्फोरमेशन मैंनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/13

(**सीता कान्त झा**)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

11/1/13